रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222044
CG-DL-E-28092020-222044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2955] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
No. 2955] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का. आ. 3306(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से पराम”ा करने के प”चात् उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और सं”ोधन करती है, अर्थात्:—

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में, “महाराष्ट्र” शीर्ष के अधीन “आयुर्वेद और सिद्ध” से संबंधित भाग 1 में, क्रम सं. 55 के सामने :—

(i) अगतंत—व्यवहारयुर्वेद निष्णात के संबंध में स्तंभ 4 में प्रविष्टि के स्थान पर स्तंभ 5 में निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात् :—

4
“1988 से 1999”

(ii) स्तंभ 2, स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में प्रविष्टियों के प”चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2	3	4
“निवारक और सामाजिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	—	1994 से 1998, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई जिन्हें श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में वर्ष 1988 से 1995 में प्रवे”ा दिया गया था।
कोमारभृत्य कृत्य निष्णात में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	—	1994 से 1998, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई जिन्हें श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में वर्ष 1988 से 1996 में प्रवे”ा दिया गया था।

पंचकर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	—	1994 से 2004, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई जिन्हें श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में वर्ष 1988 से 1995 में प्रवे”ा दिया गया था।
नेत्रविज्ञान / नेत्ररोगा निष्णात में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	—	1994 से 1998, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई जिन्हें श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में वर्ष 1988 से 1996 में प्रवे”ा दिया गया था।
आयुर्वेद जराचिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	—	1994 से 1998, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई जिन्हें श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में वर्ष 1992 से 1996 में प्रवे”ा दिया गया था।

[फा. सं. एल. 14030/19/2020–ईपी–1]

पी.एन. रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4060(अ) तारीख 30 नवंबर, 1979 द्वारा पहली बार सं”ोधित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 2427(अ), तारीख 16 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम बार सं”ोधित की गई थी।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3306(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the second schedule to the said Act, namely:-

In Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in Part I relating to "Ayurveda and Siddha", under the heading "Maharashtra", against serial number 55,-

(i) in respect of Agadtantra Vyavhar Ayurved Nishnat, for the entry in column 4, the following entry in column 5 shall be substituted, namely:-

4
"From 1988 to 1999";

(ii) after the entries in column 2,3 and 4, the following entries shall be inserted, namely:-

2	3	4
"Post Graduate Diploma in Preventive & Social Medicine	-	From 1994 to 1998, if awarded to the students who had been admitted in the year 1988 to 1995 in Shri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur.
Post Graduate Diploma in kaumarbhritya Nishnat	-	From 1994 to 1998, if awarded to the students who had been admitted in the year 1988 to 1996 in Shri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur.
Post Graduate Diploma in Panchakarma	-	From 1994 to 2004, if awarded to the students who had been admitted in the year 1988 to 1995 in Shri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur.
Post Graduate Diploma in Ayurveda in Opthalmology / Netraroga Nishnat	-	From 1994 to 1998, if awarded to the students who had been admitted in the year 1988 to 1996 in Shri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur.
Post Graduate Diploma in Ayurveda Geriatrics	-	From 1994 to 1998, if awarded to the students who had been admitted in the year 1992 to 1996 in Shri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur".

[F.No.L.14030/19/2020-EP-1]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 was first amended *vide* notification number S.O.4068(E), dated the 30th November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O.2427(E), dated the 16th July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM